न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

पी0ए0 अपील वाद सं0–09 / 2020–21

मुन्शी हेम्ब्रम
बनाम
संग्राम हेम्ब्रम एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
06.06.2023	**आदेश** यह अपीलवाद, अपीलकर्ता मुंशी हेम्ब्रम, पिता– स्व0 संग्राम हेम्ब्रम, सा0– शिवरामपुर, थाना– महेशपुर, जिला– पाकुड़ के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के पी0ए0 वाद सं0– 25 / 2010–11 (साथ में पी0ए0 वाद सं0– 28 / 2010–11 संलग्न) में दिनांक 31.10.2020 को पारित आदेश के विरूद्ध (1) संग्राम हेम्ब्रम, पिता– स्व0 नाईकी हेम्ब्रम, सा0– शिवरापुर, थाना– महेशपुर जिला–पाकुड़ (2)16 आना रैयत मौजा– शिवरापुर, थाना–महेशपुर एवं (3) झारखण्ड राज्य को पक्षकार बनाते हुए दाखिल किया गया है। मामला संक्षेप में यह है कि अंचल महेशपुर के मौजा– शिवरामपुर के ग्राम प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु संग्राम हेम्ब्रम (इस वाद के उत्तरवादी स0–01) एवं मुंशी हेम्ब्रम के द्वारा निम्न न्यायालय में अपना आवेदन दाखिल किया गया। दाखिल आवेदनों के आधार पर क्रमशः पी0ए0 वाद सं0– 25 / 10–11 एवं पी0ए0 वाद सं0– 28 / 10–11 संस्थित किया गया। पी0ए0 वाद सं0– 28 / 10–11 को पी0ए0 वाद सं0– 25 / 10–11 के साथ संलग्न कर सुनवाई की गई। उक्त वाद में दिनांक 21.01.2013 को पारित आदेश द्वारा मुंशी हेम्ब्रम (इस वाद के अपीलकर्ता) को प्रश्नगत मौजा का ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 21.01.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध संग्राम हेम्ब्रम द्वारा इस न्यायालय में अपील दायर किया गया जिसे प्रधानी अपील वाद सं0–10 / 2013–14 के रूप में पंजीकृत करते हुए सुनवाई की गई तथा दिनांक 25.10.2017 को पारित आदेश द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश दिनांक 21.01.2013 को रद्ध करते हुए इस आदेश के साथ वाद को रिमाण्ड किया गया कि वे प्रश्नगत मौजा के कुल 63 खतियानी रैयतों के 18 वर्ष से अधिक उम्र के जीवित वारिशानों की अद्यतन सूची तैयार करवाकर संथाल परगना काश्तकारी (अनुपूरक) नियमावली 1950 के नियम 3 का उप नियम 1 के तहत अनुसूची 1 के अन्तर्गत प्रपत्र 'A' में जमाबन्दी रैयतों के वर्तमान वालिग वारिशानों को एक सप्ताह पूर्व सूचना देकर पूर्ण पारदर्शिता के तहत SPT	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

(Supplementary Provisions) Act 1949 की धारा 5 के अन्तर्गत कम से कम दो तिहाई जमाबन्दी रैयतों की उपस्थिति में प्रधान पद पर नियुक्ति महेशपुर कैम्प कोर्ट में आदेश प्राप्ति के आठ सप्ताह के अन्दर पूरा करेंगे। उक्त आदेश के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा पुनः मतदान कराया गया एवं दिनांक 31.10.2020 को पारित आदेश द्वारा संग्राम हेम्ब्रम (उत्तरवादी स0–01) को SPT Act 1949 की धारा 5 के तहत प्रश्नगत मौजा का ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया। यह अपील आवेदन निम्न न्यायालय द्वारा पारित इसी आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

उभय पक्ष के विद्व अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस को विस्तारपूर्वक सुना गया। अपीलकर्त्ता के विद्व अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत मौजा–शिवरामपुर एक प्रधानी मौजा है। उक्त मौजा में ग्राम प्रधान की नियुक्ति SPT Act 1949 की धारा 5 के तहत करने हेतु इस न्यायालय के प्रधानी अपील वाद सं0–10/2013–14 में दिनांक 25.10.2017 को पारित आदेश द्वारा दिया गया। निम्न न्यायालय द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 25.10.2017 के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। जमाबन्दी रैयतों की उपस्थिति में कई मृत व्यक्तियों द्वारा मतदान दिखा दिया गया। इस न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में जाँच प्रतिवेदन भी मांगा गया था। कार्यपालक दण्डाधिकारी, पाकुड़ के पत्रांक–358/सा0, दिनांक 28.02.2023 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में कुल 7 व्यक्तियों की मृत्यु की तिथि दिनांक 31.10.2020 से पूर्व की दर्शायी गई है। दिनांक 31.10.2020 को मतदान सम्पन्न हुआ था। स्पष्ट है कि मृत व्यक्तियों की जगह किसी दूसरे व्यक्तियों द्वारा हाजरी/उपस्थिति दी गई। जमाबन्दी सूची के अनुसार जमाबन्दी रैयतों की सं0–517 है। 2/3 जमाबन्दी रैयतों की सं0–345 होती है। उक्त 7 रैयतों की उपस्थिति अवैद्य है। इस तरह कुल 343 रैयत ही उपस्थित हुए जो 2/3 रैयतों से कम है। उनका आगे कहना है कि इस न्यायालय द्वारा प्रधानी अपील वाद सं0–10/2013–14 में दिनांक 25.10.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा माननीय आयुक्त, संथाल परगना, दुमका के न्यायालय में रिविजन दायर किया गया है जो RMR No-176/2018 के रूप में वर्तमान में लंबित है। उक्त वाद के लंबित रहने के दौरान निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया जो गलत है। SPT Rule 1950 के अनुसार यदि दो लगातार तिथियों में 2/3 रैयत उपस्थित नहीं होते है तो Sec-5 के तहत दाखिल आवेदन को रद्ध कर दिया जाना है। निम्न न्यायालय द्वारा इस नियम की अनदेखी की गई। उनके द्वारा अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

...की क्रम ...ख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

उत्तरवादी स0—01 के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत मौजा—शिवरामपुर एक प्रधानी मौजा है। उक्त मौजा में ग्राम प्रधान पद पर नियुक्ति इस न्यायालय द्वारा प्रधानी अपील वाद सं0—10 / 2013—14 में दिनांक 25.10.2017 को पारित आदेश के आलोक में SPT Act 1949 की धारा 5 के तहत की गई। निम्न न्यायालय द्वारा नियमों के तहत तथा पुरी प्रक्रिया का पालन करते हुए उनकी नियुक्ति की गई है। जमाबन्दी रैयतों की सूची प्राप्त की गई एवं मतदान कराया गया। उनके पक्ष में कुल 350 रैयत उपस्थित हुए जो 2/3 से अधिक है। अपीलकर्त्ता के पक्ष में एक भी रैयत उपस्थित नहीं हुए। अपीलकर्त्ता द्वारा जिन रैयतों को मृत बताया गया है वो सभी दिनांक 31.10.2020 को जीवित थे। कार्यपालक दण्डाधिकारी का प्रतिवेदन सही नहीं है। प्रतिवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। उनके द्वारा अपील आवेदन अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया।

संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रश्नगत मौजा में ग्रम प्रधान की नियुक्ति SPT Act 1949 की धारा 5 के तहत विधिवत करने का आदेश इस न्यायालय के प्रधानी अपील वाद सं0—10 / 2013—14 में दिनांक 25.10.2017 को पारित आदेश द्वारा दिया गया था। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा SPT Rule 1949 की के नियम 3(1) का पालन नहीं किया गया एवं Form A में नोटिस निर्गत नहीं किया गया। जबकि ऐसा करने का उन्हें स्पष्ट आदेश दिया गया था। निम्न न्यायालय के आदेश फलक के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि दिनांक 18.07.2020 को पारित आदेश द्वारा मतदान की तिथि 19.09.2020 निर्धारित की गई। दिनांक19.09.2020 को 2/3 जमाबन्दी रैयतों की उपस्थिति नहीं होने के कारण मतदान हेतु पुनः दिनांक 26.09.2020 की तिथि निर्धारित की गई। दिनांक 26.09.2020 को भी 2/3 जमाबन्दी रैयत उपस्थित नहीं हुए एवं पुनः मतदान की अगली तिथि 31.10.2020 निर्धारित की गई। यह विधि द्वारा स्थापित नियमों का खुले रूप से किया गया उल्लंधन है

SPT Act 1950 के नियम 3(2) का उद्धारहण निम्नवत् है :—

The Consent of at least two-thirds of the persons recorded as jamabandi raiyats of the villege shall be ascertained by the Deputy Commissioner by show of land.

Provided that if on the date so fixed at least two-thirds of the Persons recorded as jamabandi raiyat of the villege fail to be present the Deputy commissioner shall fix another date and issue fresh notice in the manner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

preseribed in sub-rule 3(i) if on the date so fixed, at least two-thirds of the persons recorded as jamabandi raiyat again fail to be present the Deputy Commissioner shall summarily reject the application made under section 5.

स्पष्ट है कि उक्त नियम का अनुपालन निम्न न्यायालय द्वारा नहीं किया गया। दो तिथियों को 2/3 जमाबन्दी रैयत उपस्थित नहीं होने के कारण आवेदन को रद्द कर दिया जाना चाहिए था। श्री प्रमोद कुमार दास, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पाकुड़ के पत्रांक–358/सा0, दिनांक–28.02.2023 के द्वारा प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के अनुसार कुल 7 ऐसे रैयत जिनकी मृत्यु दिनांक–31.10.2020 से पूर्व हो चुकी थी, उनका हस्ताक्षर/टिप निशान भी रैयतों की उपस्थित सूची में अंकित है। यदि इन 7 व्यक्तियों को उपस्थित जमाबंदी रैयतों की संख्या से घटा दिया जाता है तो इसकी संख्या मात्र 343 होती, जो 2/3 जमाबंदी रैयतों से कम होती है। यद्यपि जांच प्रतिवेदन को यह कहकर चुनौती दी गई कि मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। चूंकि उत्तरवादी द्वारा जांच प्रतिवेदन को चुनौती दी गई अतः यह प्रमाणित करने का दायित्व उनका है कि प्रतिवेदन गलत है। परन्तु उनके द्वारा एक भी मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया जा सका जो प्रतिवेदन को गलत ठहरा सके। इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा प्रावधानों के प्रतिकूल जाकर आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप आवश्यक है।

उपर्युक्त विवेचना के आधार अपील आवेदन स्वीकृत करने हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त (Set-aside) किया जाता है। साथ ही यह वाद इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि SPT Act 1949 की धारा 5 के तहत SPT Rule 1950 के नियम 3 का अनुसारण कर एवं wp(c) No.-5014/2008 तपो देवी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 14.06.2022 को पारित आदेश का अनुपालन करते हुए आदेश प्राप्ति के तीस दिनों के अन्दर प्रश्नगत मौजा में ग्राम प्रधान की नियुक्ति कैम्प कोर्ट में जाकर करेंगे।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें।

लेखापित एवं संशोधित।

6/6/23
उ पायुक्त,
पाकुड़।

6/6/23
उ पायुक्त,
पाकुड़।

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.06.14 17:01:35 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:1841:4146:3557:ab1f

Scanned with OKEN Scanner